न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
115 / 2018	2018 / 281	28.09.2018	31.10.2022

उनवान प्रकरण

मोटुराम पुत्र गणेशराम आयु 70 वर्ष जाति जाट निवासी जालपाली मोड़ वार्ड नं. 5, श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

——प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. बंशीधर पुत्र नन्दाराम जाति जाट आयु 65 वर्ष निवासी जालपाली मोड़ वार्ड नं. 5 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र रूड़ाराम आयु 53 वर्ष
4. शंकरलाल पुत्र रूडाराम आयु 45 वर्ष
5. बाबूलाल पुत्र रूडाराम आयु 50 वर्ष
6. धर्मेन्द्र पुत्र रूडाराम आयु 35 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नं. 5, जालपाली मोड़, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री सुरेश चौधरी, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।
श्री सरदार सिंह कुड़ी द्वितीय, एड0 अप्रार्थीगण संख्या 2 अभिभाषक।
श्री गजराज सिंह दूधवाल, एड0 अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

Signature Not Verified

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 131

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.04 12:42:14 IST
Reason: SelfAttested

31/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट का खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नं0 979/1 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थित है। जिसके नवीन खसरा नंम्बर 2564/1 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 2564/2 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 2564/3 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 2567/1 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 2567/2 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 2565 रकबा 0.06 हैक्टर बने हैं। खसरा नम्बर 2563 व 2566 पुराने खसरा नम्बर 978/2 से बने हैं। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2564 से सटाकर उतर दिशा में भूमि पुराना खसरा नम्बर 980/1 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा स्थित हैं। जिसके नवीन खसरा नम्बर 2561/1 रकबा 1.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 2561/2 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2561/3 रकबा 0.15 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 2562 रकबा 0.09 हैक्टर बने हैं। इस प्रकार नया कुल रकबा 1.66 हैक्टर के बजाय 1.82 हैक्टर बना है। भूमि खसरा नम्बर 979/1 तथा खसरा नम्बर 980/1 के मध्य स्थित पूर्व से पश्चिम सीमा को नवीन सर्वेशीट में करीबन 12 मीटर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2564 में दर्शाया गया हैं। नवीन नक्शा में भूमि खसरा नम्बर 2561 की दक्षिणी सीमा को करीबन 12 मीटर तथा इसका नया रकबा 0.16 हैक्टर गलत रूप से बढ़ाया गया हैं। जो कि नई व पुरानी सर्वेशीट, जमाबंदी एवं मिलान क्षैत्रफल से बखूबी साबित है। भूमि खसरा नम्बर 2564 की खातेदारी प्रार्थी व प्रार्थी के भाई रूडाराम के वारिसान के नाम से दर्ज हैं और अकेले प्रार्थी के हक हिस्से में आई हुई हैं। इसलिए नवीन सर्वेशीट को दुरूस्त किया जाना जरूरी हैं। सर्वेशीट में त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुई हैं। इसलिए धारा 131 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत दुरूस्तनीय हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2564 की उत्तरी सीमा को पुरानी सर्वेशीट के मुताबिक दुरूस्त कर इसका अंकन नवीन [illegible] करवाने बाबत् आदेश फरमाने जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.04 12:42:14 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की नोटिस तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री सरदार सिंह कुड़ी द्वितीय एड0 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एंव अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 की ओर से श्री गजराज सिंह दूधवाल एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 150/भू.अ./2022 दिनांक 18.01.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :– ग्राम श्रीमाधोपुर में स्थित भूमि पुराना खसरा नम्बर 979/1 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा है। जिसके नवीन खसरा नम्बर सलंग्न मिलान क्षेत्रफल के 2564 रकबा 1 है0, 2565 रकबा 0.06 है0, 2567 रकबा 0.64 है0, 2566 रकबा 0.14 है0, 2563 रकबा 0.06 है0 बने है। इस प्रकार नया कुल रकबा 1.7199 है0 के बजाय 1.90 है0 बना है। दावे में प्रार्थी द्वारा संलग्न रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा नया खसरा नम्बर 2563 व 2566 पुराने खसरा नम्बर 979/1 से नही बनकर 978/2 से बने हुये बताये गये हैं। इस प्रकार पुराने रकबे की तुलना में नया रकबा 0.02 है0 कम कर दिया गया है। प्रार्थी की भूमि ख.न. 2564 से सटाकर उतर दिशा में भूमि पुराना ख.न. 980/1 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा है। जिसके नवीन खसरा नम्बर सलग्न मिलान क्षेत्रफल के 2561 रकबा 1.73 है0 संपूर्ण एवं खसरा संख्या 2562 रकबा 0.09 है0 आंशिक अर्थात पुराने ख.न. 980/1 मि. एवं 411/2 मि. से बना हुआ बताया गया है। इस प्रकार नया कुल रकबा 1.6946 है. के बजाय 1.82 है0 बना है लेकिन ख.न. 2562 रकबा 0.09 है0 पुराने ख.न. 980/1 मि. एवं 411/2 मि. से बना हुआ है। इस प्रकार नये भू–प्रबन्ध में पुराने भू–प्रबंध की बजाय रकबा बढ़ा दिया गया है। पुरानी [illegible] सर्वे सीट के मिलान करने पर पुराना ख.न. 980/1 की पश्चिमी सीमा उत्तर–दक्षिण [illegible] सड़क से लगती हुई सीमा मुताबिक पुराना नक्शा लट्ठा अनुसार 124 मी. है। जबकि नई मोमिया सीट में उक्त सीमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.04 12:42:14 IST
Reason: SelfAttested

31/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नये ख.न. 2561 की पश्चिमी सीमा उत्तर–दक्षिण श्रीमाधोपुर से रींगस सड़क से लगती हुई 136 मीटर अर्थात नई सीट में पुरानी के मुताबिक 12 मीटर लम्बाई बढ़ा दी गई है। पुराने ख.न. 979/1 की पश्चिमी सीमा उत्तर–दक्षिण श्रीमाधोपुर से रीगस में सड़क से लगती हुई पुरानी नक्शा लट्ठा के अनुसार 228 मी. है तथा नई मोमिया सीट में वर्तमान ख.न. 2564 एवं 2567 सड़क को मिलाते हुए पश्चिमी सीमा उत्तर–दक्षिण श्रीमाधोपुर से रींगस सड़क से लगती हुई 232 मी. लम्बी है। अतः नई सीट में पुरानी नक्शा लट्ठा से 4 मीटर अधिक है। मुताबिक वर्तमान जमाबंदी में ख.न. 2564 रकबा 1.00 है0 तरमीम होकर नये खसरा नम्बर 2564/1 रकबा 0.86 है0, खसरा नम्बर 2564/2 रकबा 0.09 है0, ख.न. 2564/3 रकबा 0.05 है0 कुल किता 03 रकबा 1.00 है0 बन गए है तथा ख.न. 2567 रकबा 0.64 है0 में भी तरमीम होकर नये ख.न. 2567/1 रकबा 0.18 है0, ख.न. 2567/2 रकबा 0.46 है0 कुल किता 2 रकबा 0.64 है0 बने है तथा भूमि ख.न. 2561 रकबा 1.73 है. में भी तरमीम होकर नये ख. न. 2561/1 रकबा 1.57 है. ख.न. 2561/2 रकबा 0.01 है. ख. नं. 2561/3 रकबा 0.15 है. कुल किता 03 रकबा 1.73 है. बन गये है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जांच करने पर पुराने ख.न. 979/1 की पश्चिमी सीमा उत्तर–दक्षिण श्रीमाधोपुर से रींगस सड़क से लगती हुई पुरानी नक्शा लट्ठा के अनुसार 232 मीटर है तथा नई मोमिया सीट में वर्तमान ख.न. 2564 एवं 2567 सडक को मिलाते हुए पश्चिमी सीमा उत्तर–दक्षिण श्रीमाधोपुर से रींगस सड़क से लगती हुई 232 मीटर लम्बी है। अतः नई सीट में पुराना नक्शा लट्ठा से कोई अंकन नहीं पाया गया । उक्त ख.न. के संबंध में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर के यहाँ वाद विचाराधीन होना अपनी रिपोर्ट में अवगत हैं।

वही वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी की भूमि का पुराना खसरा नम्बर 979/1 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा के निम्न खसरा नम्बर बने जिसकी सारणी निम्न है:–

खसरा नम्बर	रकबा	पुराना खसरा नम्बर
2564/1	0.86 है0	979/1
2564/2	0.09 है0	979/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.04 12:42:14 IST
Reason: SelfAttested

31/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

2564/3	0.05 है0	979/1
2567/1	0.18 है0	979/1
2567/2	0.46 है0	979/1
2565	0.06 है0	979/1
2563	0.06 है0	979/1
2566	0.14 है0	979/1
कुल रकबा	1.90 है0	6 बीघा 16 बिस्वा

इस प्रकार प्रार्थी की भूमि के पुराना खसरा नम्बर 979/1 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा का वर्तमान रकबा 1.90 हैक्टेयर बना हैं, जो पुराना रकबा से अधिक रकबा है तथा उक्त खसरा नम्बर में से 2564/1 रकबा 0.86 है0, ख0न0 2564/2 रकबा 0.09 है0, ख0न0 2564/3 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 है0 भूमि पर प्रार्थी व उसमें अन्य खातेदार राजेन्द्र, शंकरलाल, बाबूलाल, धर्मेन्द्र काबिज है तथा शेष खसरा नम्बरान की भूमि सडक व अन्य खातेदारों की होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी ने ख0न0 2563 व 2566 को पुराने खसरा नम्बर 978/2 से बनना बताया गया है, बल्कि खसरा नम्बर 2563 व 2566 प्रार्थी के पुराना खसरा नम्बर 979/1 से बनाये गये है। जिसका मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति संलग्न है। प्रार्थी व उसके भाई के वारिसान के हिस्से में आये वर्तमान खसरा नम्बर 2564/1, 2564/2, 2564/3 कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 है0 भूमि को दक्षिणी तरफ श्रीमाधोपुर से अजीतगढ़ आने वाली सडक से नापजोख कर प्रार्थी का रकबा 1.00 हैक्टेयर पूर्ण करने पर आने वाले स्थान को खसरा नम्बर 979/1 व 980/1 के मध्य की सीमा कायम करवाये जाने तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के हिस्से की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 2564/1, 2564/2, 2564/3 कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 है0 है, जिसकी सीमा जालपाली मोड से अजीतगढ जाने वाली सड़क से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 का रकबा 1.00 हैक्टेयर की मौके पर नापजोख करवायी जाकर नाप में आने वाले स्थान को पुराने खसरा नम्बर 979/1 व 980/1 के मध्य की सीमा कायम करवाये जाने बाबत निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.04 12:42:14 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रकरण में वकील प्रार्थी ने भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने एंव वकील अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर दिये जाने एंव वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश कर दिये जाने से वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहु पक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा लिखित बहस व बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, 2070–2073, नकल मिलान क्षेत्रफल, राजस्व नक्शा ट्रेस नया व पुराना, तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर के पुराने खसरा नम्बर 979/1 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा जिनके नवीन खसरा नम्बर 2564/1 से 2564/3, 2567/1, 2567/2, 2565, 2563, 2566 कुल रकबा 1.90 हैक्टर बनना पाया जाता है। पुराने ख.न. 979/1 की पश्चिमी सीमा उतर–दक्षिण श्रीमाधोपुर से रींगस सड़क से लगती हुई पुरानी नक्शा लट्ठा के अनुसार 232 मीटर होना तथा नई मोमिया सीट में वर्तमान ख.न. 2564, खसरा नम्बर 2567 एंव सड़क को मिलाते हुए पश्चिमी सीमा उतर–दक्षिण श्रीमाधोपुर से रींगस सड़क से लगती हुई 232 मीटर लम्बी होना स्पष्टतः प्रकट होता है। जिससे नई नक्शा सीट में पुराना नक्शा लट्ठा से कोई अन्तर होना नहीं पाया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार नये नक्शा शीट से पुराने नक्शा शीट में कोई अन्तर नहीं होना अपनी रिपोर्ट में बताया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित न[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.04 12:42:14 IST
Reason: SelfAttested

31/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर